कार्यालय निदेशक,माध्यमिकशिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र/सेल–D/विद्यार्थीदुर्घटना बीमा/2020–21 दिनांकः 23/06/2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक - मुख्यालय

विषय :– राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 की प्रीमियम राशि के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांकःप.5(6)वित्त/बीमा/2020 जयपुर दिनांक 17.02.2021 व 22.06.2021 के द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के दुर्घटना जोखिम को वहन करने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से 10/– रूपये प्रति छात्र एवं 5/– रूपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष एक लाख रूपये बीमाधन के आधार पर विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा पॉलिसी कवरेज उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 322100067 दिनांक 11.02.2021 के अनुसरण में की गई है। इसी क्रम में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 02.03.2021 (प्रति संलग्न) में वर्णित प्रावधान एवं शर्तो के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए इसकी प्रीमियम राशि एक मुश्त विद्यालय द्वारा अपने स्तर विभाग के निम्न राजस्व मद में जमा करवाई जानी है।

0202 – शिक्षा, खेलकुद, कला संस्कृति
01 – सामान्य शिक्षा
102 – माध्यमिक शिक्षा
(03) – अन्य प्राप्तियां
(01) – विविध

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निर्देशित करें कि उक्तानुसार विद्यार्थियों से अंशदान वसूल कर विभाग के राजस्व मद में जमा कराकर चालान की प्रति संस्था प्रधान अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर
3. अति. निदेशक, निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
4. वित्तीय सलाहाकार, माध्यमिक शिक्षा, विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. तकनीकी निदेशक, एनआईसी केन्द्र शिक्षा संकुल, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
6. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर
7. उपनिदेशक, योजना कार्यालया हाजा।
8. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रभावी प्रवोधन हेतु।
9. वरिष्ठ संपादक, शिविरा, कार्यालय हाजा. को शिविरा पत्रिका में प्रकाशनार्थ।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग , कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. रक्षित पत्रावली

23.6.21
प्रभारी अधिकारी छात्रवृति
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर